

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 111/2025 बउनवानी प्रकाश चन्द भारती बनाम तहसीलदार वजीरपुर  
निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर  
GCMS No-2025/ 226

Appeal Number- 321212104314644

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज


तारीख  
हुकम  
3.9.2025

1 नं. अपील  
अपील नं.  
संख्या 111/2025

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 24.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " तहसीलदार वजीरपुर के निर्णय दिनांक 8.5.2025 क्रमांक/राजस्व/438/ के क्रमांक 1 पटवार हल्का को भेजकर लेख है कि अतिक्रमियों से पेनल्टी राशि वसूल कर जमा राजकोष करावे के संबंध में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित सूचना" तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: भू0अ0/आरटीआई/2025/101 दिनांक 3.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना बताया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना , लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

  
( काना राम )  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

